मौसम के शुरू में पिछले मौसम (1969-70) के गन्ने के मूल्य के 812.31 लाख रुपए की बकाया राशि में से चालू मौसम (1970-71) के दौरान 30 अप्रैल, 1971 तक 619.59 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। अतः गन्ने के मूल्य का भुगतान पूर्णतया रुका नहीं पड़ा है।

(ख) गन्ने के मूल्य की अधिकतर बकाया राशि मुख्यतः 1969-70 के दौरान रिकार्ड उत्पादन होने से चीनी का स्टाक इकट्ठा हो जाने और पिछले मौसम में अधिक स्टाक के बच जाने के कारण अदा नहीं की गई है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वे चूककर्त्ता चीनी मिलों के विरुद्ध सख्त से सख्त उपाय करें ताकि गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का समय पर भुगतान होता रहे। 15 अप्रैल, 1971 को गन्ने के मूल्य की बकाया स्थिति के आधार पर उत्तर प्रदेश में 26 चूककर्त्ता चीनी कारखानों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आठ चीनी कारखानों को रिसीवरशिप के अधीन लाया गया है। कलक्टरों ने 5 चीनी कारखाने की नीलामी की घोषणा की है। एक चीनी मिल के मालिक को गन्ने के मूल्य की राशि का भुगतान रोकने के कारण मालगुजारी हवालात में रखा गया था। तीन चीनी कारखानों ने बकाया राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से करार किया है।

**कृषि साधनों के मूल्य में वृद्धि**

590. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य में कमी आती जा रही है और किसानों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में अनुपात स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या कृषि के लिये आवश्यक साधन भी बहुत मंहगे हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) गत दशाब्दी (1961-62 से 1970-71) की अवधि में, कृषि जिन्सों का मूल्य प्रायः दुगुना हो गया है, जब कि कृषकों द्वारा क्रय की जाने वाली रुई से निर्मित वस्तुयें, माचिस, तम्बाकू, चाय तथा नमक जैसी बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों में केवल 15 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

1970-71 की अवधि में, कृषि जिन्सों के मूल्यों में 1969-70 की अवधि की तुलना में, 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु कृषकों द्वारा खरीदी जाने वाली कुछ वस्तुओं, जैसे रुई से निर्मित वस्तुयें, चाय तथा नमक के मूल्यों में होने वाली वृद्धि कहीं अधिक अर्थात् 9.2 प्रतिशत से लेकर 29.7 प्रतिशत तक थी। तम्बाकू तथा चर्म उत्पादों (जूतों) के मूल्यों में कुछ ह्रास आया, किन्तु माचिस के मूल्यों में 1970-71 की अवधि में 1969-70 की तुलना में स्थिरता रही। कृषि जिन्सों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ वृद्धि देखने में आई, किन्तु खाद्यान्नों के मूल्य में 1970-71 की अवधि में कुछ कमी आई।

(ख) जी नहीं।

(ग) महत्वपूर्ण कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों बिजली, डीजल, तेल, सीमेंट कीटनाशी औषधियों औजारों तथा उपकरणों, स्नेहक तेलों, लोहे तथा इस्पात निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में 1961-62 से 1970-71 की अवधि में, केवल 21 और 64 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई, जब कि इसी अवधि में कृषि जिन्सों के मूल्यों में शत प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) गत कुछ वर्षों की अवधि में अधिक उत्पादनशील किस्मों को विस्तृत पैमाने पर

अपनाने के फलस्वरूप होने वाले अधिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादनों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि ने आदानों के मूल्यों में हुई वृद्धि को प्रायः नगण्य बना दिया है। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है यह आशा है कि अद्यतन तकनीकों के आधार पर स्थापित विशाल उर्वरक कारखानों की स्थापना से, उत्पादन लागत के साथ-साथ, उर्वरकों के मूल्य में भी कमी आ जायेगी।

**किसानों को गेहूं का उचित मूल्य**

591. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गेहूं का वसूली मूल्य 76 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने के बावजूद भी किसानों को बाजार में केवल 70 अथवा 72 रुपये प्रति क्विंटल ही मिल रहा है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार गेहूं को ऐजेण्टों के माध्यम की अपेक्षा सीधे किसानों से खरीदने का है; और

(ग) किसानों को गेहूं के उचित मूल्य दिलाने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे)** : (क) किसानों को उचित औसत किस्म के गेहूं के लिए 76 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उचित औसत किस्म से घटिया गेहूं के मूल्य का भुगतान निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुसार किस्म सम्बन्धी कटौती के बाद किया जाता है।

(ख) जी हाँ। भारतीय खाद्य निगम की नीति तथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में सीधे ही किसानों से अथवा सहकारी समितियों के समितियाँ माध्यमों से गेहूं खरीदने की है। फिर भी, जिन क्षेत्रों में इस समय सहकारी खाद्य निगम की ओर से अधिप्राप्ति का कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं अथवा इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं वहाँ खाद्य निगम ऐजेन्टों के माध्यम से खरीदारी कर रहा है। तथा शीघ्र निगम इस व्यवस्था को समाप्त कर सीधे किसानों से खरीदारी करने और सहकारी समिति के माध्यम से खीरदारी करने के लिए प्रयत्नशील है।

(ग) क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर, शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा भुगतान कार्यालय खोलकर और निगम तथा राज्य सरकारों के दौरा करने वाले अधिकारियों द्वारा बराबर निगरानी रखकर किसानों को निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

**Procurement of Rice**

592. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) whether procurement of rice has been made upto the target, State-wise ;

(b) whether target has not been reached ; if so, the reasons for the same ; and

(c) whether Government propose to supply rice to those State where refugees from East Pakistan have settled ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). As kharif procurement season in most of the States is from November to October, procurement of rice in the States is still going on. While the targets recommended by the Agricultural Prices Commission for Madhya Pradesh and Punjab have already been exceeded, the target is likely to be achieved or nearly achieved in Andhra Pradesh, Haryana, Maharashtra and Uttar Pradesh before the season is over. On the basis of present indications, the targets may not be achieved in the State of Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Kerala, Mysore, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal. In Gujarat, no procurement is being made this year as the State Governments are